राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2818/2018

महबूब अली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, लाल कोठी, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.08.2018
आदेश की दिनांक : 07.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.09.1993 (अनुलग्नक–1) द्वारा कांस्टेबल (ड्राइवर) के पद पर हुई थी। अपीलार्थी नियुक्ति तिथि से एमटी शाखा के कैडर में कार्य कर रहा है और उसे राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत भर्ती किया गया था। अपीलार्थी ने इसके लिए प्रशिक्षण लिया है। ड्राइवर यानी टेक्निकल ट्रेड, ड्राइवर ट्रेड में इसे तकनीकी शाखा घोषित किया गया है और इसमें सहायक उप–निरीक्षक का कोई पद नहीं है। हेड कांस्टेबल के बाद पदोन्नति पद उप निरीक्षक है। अपीलार्थी को 1993 में नियुक्त किया गया था, तदनुसार उसे 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वर्ष 2002 से प्रथम चयनित वेतनमान (यानी हेड कांस्टेबल) दिया गया था। संशोधित वेतनमान नियमों के अनुसार प्रथम चयनित ग्रेड उस दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई व्यक्ति नौ साल की सेवा पूरी करेगा, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले एक भी पदोन्नति न मिली हो जैसा कि उसके मौजूदा कैडर में उपलब्ध है। द्वितीय चयनित ग्रेड उस दिन के अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई अठारह वर्ष की सेवा पूरी करता है, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले दो पदोन्नति न मिली हो जैसा कि उसके मौजूदा कैडर में उपलब्ध हो सकता है। तृतीय चयनित ग्रेड 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के अगले दिन से प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले तीन पदोन्नति न मिली हो। अपीलार्थी 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दिनांक 07.09.2011 को द्वितीय चयनित वेतनमान के लाभ का हकदार हो गया, लेकिन उसे इसका लाभ नहीं दिया गया। पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को देय चयनित वेतनमान के संबंध में आदेश दिनांक

11.01.1999 को जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पुलिस (तकनीकी) के लिए चयनित वेतनमान ग्रेड हेड कांस्टेबल, सहायक उप–निरीक्षक/उप–निरीक्षक के स्थान पर हेड कांस्टेबल, उप–निरीक्षक, निरीक्षक पर होगा। दिनांक 27.12.2002 को पुनः एक आदेश जारी कर कांस्टेबल (तकनीकी) के चयनित वेतनमान से संबंधित भुगतान को स्पष्ट किया गया कि पुलिस तकनीकी विंग में कार्यरत कांस्टेबल उच्च पद के चयनित वेतनमान के लिए पात्र होंगे। अपीलार्थी पूर्व निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन का लाभ ले रहा है, जिसके कारण अपीलार्थी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के तहत प्रदान किए गए अन्य कांस्टेबलों की तुलना में अधिक वेतन पाने का हकदार है। पुलिस (तकनीकी विंग)/आरएसी विभाग में वे 18 वर्ष की सेवा यानी 9300–34800 रुपये + 4200 रुपये पूरी करने के बाद चयनित वेतनमान पाने का हकदार है। अपीलार्थी ने 2011 में 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और वह 9300–34800 रुपये + 4200 रुपये में वेतनमान का लाभ पाने का हकदार है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने बिना किसी कारण के इसे देने में देरी की है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2018 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को वेतनमान रुपये 5200–20200 + 2400 ग्रेड पे में निर्धारित किया गया है, जबकि विक्रम सिंह बेल्ट नंबर 270 समान पद पर पदस्थापित कांस्टेबल को वेतनमान रूपये 9300–34800 + 4200 रुपये में निर्धारित किया गया, जिसे 1993 में कांस्टेबल (ड्राइवर) के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी और कांस्टेबल विक्रम सिंह की वेतन पर्ची अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2018 (अनुलग्नक–5) द्वारा जवाब दिया कि द्वितीय चयनति वेतनमान का लाभ अपीलार्थी को इस आधार पर लागू नहीं होगा कि उसके खिलाफ एसीबी का मामला लंबित है। बिना किसी उचित कारण के द्वितीय चयनित वेतनमान रोकने की प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही अवैध एवं अन्यायपूर्ण है। अपीलार्थी ने 2011 में 18 साल की सेवा पूरी कर ली है, जबकि उसके खिलाफ 2013 में धारा 7, 13 (1) (डी) और 13 (2) पीसी अधिनियम 1988 के साथ 120 बी आईपीसी के तहत दिनांक 29.04.2013 को आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 04.12.2017 को अपीलार्थी का निलंबन रद्द कर दिया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2018 को अपास्त किया जावे एवं 18 साल की सेवा पूरी होने की तिथी से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ ब्याज सहित प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी कानि. (चालक) की पुलिस विभाग में नियुक्ति दिनांक 07.09.1993 है। अपीलार्थी को दिनांक

23.08.1997 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड एवं दिनांक 17.07.2009 द्वारा पुनः परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दी जाने वाली द्वितीय ए.सी.पी. उक्त दो सजाओं का प्रभाव दिये जाने से दिनांक 07.09.2011 के बजाय दिनांक 07.09.2013 को देय थी। किन्तु दिनांक 07.09.2013 से पूर्व ही अपीलार्थी के ट्रेप हो जाने पर उसके विरूद्ध एसीबी प्रकरण दर्ज होने व प्रकरण लम्बित होने के कारण द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृत नहीं की गई। अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 07.09.2002 को प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना था किन्तु आदेश दिनांक 23.08.1997 (अनुलग्नक आर/1) द्वारा परिनिन्दा के दण्ड का प्रभाव दिये जाने पर एक वर्ष पश्चात् दिनांक 07.09.2003 से हैड कानि. की वेतन श्रृंखला 3200–4900 में नियमानुसार प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 27.09.2003 (अनुलग्नक आर/2) है। पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 (चतुर्थ संशोधन) नियमों के अन्तर्गत अपीलार्थी को द्वितीय ए.सी.पी. प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृति दिनांक 07.09.2003 से 9 वर्ष पश्चात् दिनांक 07.09.2012 को देय थी किन्तु कार्यालय आदेश दिनांक 17.07.2009 (अनुलग्नक आर/3) द्वारा परिनिन्दा के दण्ड का प्रभाव दिये जाने से द्वितीय एसीपी स्वीकृत नहीं की गई और द्वितीय एसीपी दिनांक 07.09.2013 को देय हुई। दिनांक 07.09.2013 से पूर्व ही अपीलार्थी के ट्रेप हो जाने पर उसके विरूद्ध एसीबी प्रकरण दर्ज होने व प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृत नहीं की गई है। एसीबी प्रकरण दर्ज होने पर आदेश दिनांक 30.04.2013 (अनुलग्नक आर/4) द्वारा अपीलार्थी को निलम्बन किया गया था। एससीबी में दर्ज प्रकरण संख्या 172/2013 दिनांक 30.04.2013 की एफ.आई.आर अनुलग्नक आर/5 है। एसीबी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के सम्बन्ध में सहायक निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा से प्राप्त पत्र दिनांक 08.11.2017 है जो अनुलग्नक आर/6 पर है। राज्य सरकार वित विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू 8 के अनुसार कार्मिक की सेवाऐ संतोषप्रद होने की स्थिति में नियमानुसार चयनित वेतनमान/एसीपी देय है (अनुलग्नक आर/7)। श्री विक्रम सिंह कानि. (चालक) को सेवाकाल में किसी प्रकार का विभागीय दण्ड नहीं दिया गया है जिसका प्रभाव उसको स्वीकृत किये गये प्रथम चयनित वेतनमान अथवा द्वितीय एसीपी पर पडता हो। इस प्रकार अपीलार्थी एवं श्री विक्रम सिंह को दिया जा रहा वेतनमान नियमानुसार दिया जा रहा है। अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं आदेशों के क्रम में नियमानुसार दिनांक 04.12.2017 को निलम्बन से बहाल किया गया है। अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल कर दिये जाने के आधार मात्र पर द्वितीय एसीपी स्वीकृत नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी के दिनांक 29.04.2013 को रिश्वत लेते हुए ट्रेप हो जाने पर उसके विरूद्ध एसीबी प्रकरण दर्ज होने व प्रकरण न्यायालय

में विचाराधीन होने के कारण द्वितीय ए.सी.पी. जो 07.09.2013 को देय थी, स्वीकृत नहीं की गई है, जो नियमानुसार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2018 को अपास्त किया जावे एवं 18 साल की सेवा पूरी होने की तिथी से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी कांस्टेबल (ड्राइवर) के पद पर कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के प्रावधानानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.03. 2018 के द्वारा अपीलार्थी के चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को उक्त आदेश के द्वारा चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनाक 15.03.2018 में यह उल्लेख किया गया है कि *''अपीलार्थी को चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु उसके विरूद्ध वर्तमान में न्यायालय में एसीबी प्रकरण विचाराधीन होने के कारण चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।''* उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध वर्तमान में न्यायालय में एसीबी प्रकरण विचाराधीन है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 6883/2009 धीरज सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2011 में परिनिंदा के दण्ड हेतु चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक विनिश्चय प्रतिपादित किया हैः— The view taken by Division Bench thus is that grant of selection grade neither constitutes a separate cadre nor involves an element of selection. It is rather automatic and personal to incumbent and involves an element of selection. Unlike promotion higher pay scale is not restricted to certain number of posts. The aforesaid observations made in context of penalty of censure whereas substantive penalty of stoppage of annual grade increment has to be viewed in a different way. What is true of censure may not be applicable to substantive penalty of stoppage of annual grade increment. In any case, however action of respondents in deferring grant of selection scale to petitioner for penalty of censure awarded to petitioner cannot be justified but his second selection grade could be delayed maximum by one year for penalty of withholding of annual grade increment'. This writ petition, therefore, deserves to be partly allowed.

In result, this writ petition is partly allowed with direction to respondents to grant second selection scale to petitioner ignoring penalty of censure, although they may take into account penalty of stoppage of grade increment which may have effect of

delaying grant of selection scale by number of years for which increments have been withheld.

उपर्युक्त विनिश्चय के अनुसार परिनिंदा के दण्ड के आधार पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करने से रोका जाना विधि सम्मत नहीं है और उक्त नियम एवं विधि के अनुसार अपीलार्थी द्वितीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु सेवाकला की गणना प्रथम नियुक्ति तिथी से की जायेगी। इस प्रकार अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवाएं दिनांक 07.09.1993 से गिनी जाने पर दिनांक 07.09.2011 को पूरी होती है। परिनिन्दा दण्ड के फलस्वरूप प्रथम एसीपी को एक साथ स्थगित करने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। परन्तु प्रथम एसीपी एक साल स्थगित करने का प्रभाव द्वितीय एसीपी की स्वीकृति पर नहीं आयेगा। चूंकि परिनिन्दा के दण्ड के आधार पर एसीपी की स्वीकृति को स्थगित करना माननीय उच्च न्यायालय ने नियमानुसार नहीं माना है। अतः अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी दिनांक 07.09.2011 को देय हो जाती है एवं इस दिनांक तक अपीलार्थी के विरूद्ध एसीपी का कोई प्रकरण पंजीकृत नहीं है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय तिथी से स्वीकृत कर समस्त पारिणामिक लाभ सहित भुगतान किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य